27.12.21
22960907 6

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

सत्यमेव जयते

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2021-22/ 2939 **Dated:-** 21/12/21

31 December 2021

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- 54 /21-22

To,

The

580215
03/01

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B,Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Audit Bhawan Vibhuti Khand Gomtinagar Lacknaw Uttar Pradesh.	226010.
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building,	248171

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834002 (JHARKHAND)
दूरभाष/ Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार/ Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स/ Fax : 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

	Saharanpur Road Majra, Dehradun	
28.	**Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt,Place (West), Kolkata**	**700001**
29.	**Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry**	**605001**
30.	**Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi**	**110007**
31.	**Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi**	**110124**
32.	**Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi**	**110021**
33	**Accountant General (A&E)**, Telangana, Haydrabad	500004

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2021 (Enhanced from 28 % to 31 %) and 6th Pay commision D.R. **w.e.f. 01-07-2021 (Enhanced from** 189% to **196**%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.12/एस-महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत--54/2017..2572/वि dated-17-11-2021 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

2 . पत्रांक:वि प्र0 6 ए-12/2013....2575 दिनांक-26/08/2021 महंगाई राहत (**Enhanced from** 189% to **196**%).

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

Comp by no 1160 dt. 6/11/21

पत्रांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 2575/वि०

झारखण्ड सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

राँची/दिनांक 17/11/2021

<u>संकल्प</u>

विषय : **राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि•, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 01.11.2021 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) से बढ़ाकर 196% (एक सौ छियानवे प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) से बढ़ाकर 196% (एक सौ छियानवे प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2544/वि० दिनांक 11.11.2021 के क्रम में दिनांक 12.11.2021 की बैठक के मद सं० 23 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक•), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Accountant General (A&E)
22 NOV 2021

Pen-3
L-3268

Comp by L/o 1163 dt. 6/12/21

पत्रांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017.....2572/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :..17/11/2021

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका– 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/07/2021-P & PW (D) e-7330 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉं वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) से बढ़ाकर 31% (इकतीस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से मूल पेंशन का 31% (इकतीस प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2541/वि० दिनांक 11.11.2021 के क्रम में दिनांक 12.11.2021 की बैठक के मद सं० 26 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Accountant General (A&E) Jh.

22 NOV 2021

Pen-3

L. 3271